

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 258 / 2008

दर्ज दिनांक:—01.04.2008

1. पुरुषोत्तम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

चन्द्रमोहन गुप्ता

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक



दिनांक:—30.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. बार-बार हिदायत के बाबजूद भी वादी द्वारा फोती कार्यवाही नहीं की गई है। कई अवसर देने के बाद अन्तिम मौका भी दिया गया है। पालना न करने पर दावा वादी अन्तर्गत 0-9.R-5CPC के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर